न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 140/2025

वादी :-

1. श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड समाज प्याउ एंव टांका विकास संस्था जरिये अध्यक्ष मदनलाल पुत्र श्री बाबुलाल जाति सुथार निवासी प्लाट नं. 107 खसरा नं. 136 ख, सी पहला बालू नगर, झालामण्ड जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी - सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः-** 17/02/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम औलवी, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 255 रकबा 2.7919 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या 186 चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। चालु जमाबन्दी में वादग्रस्त कृषि भूमि टांका मुखिया हिस्सा-पूर्ण ट्रस्ट्रीयान् ग्राम वासी ओलवी संस्था के नाम दर्ज है। जबकि उक्त नाम की कोई संस्था ग्राम ओलवी में स्थित नही है। ग्राम ओलवी में स्थित संस्था का नाम श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था है। जिसके सम्बंध में संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ पेश है। जिसमें संस्था का नाम श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था दर्ज है। वादी श्री विश्वकर्मा सुधार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था का अध्यक्ष है, जिसके सम्बंध में कार्यकारिणी प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ पेश है। श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था वाद पत्र के साथ संघ विधान नियमावली में वर्णित कार्य करती है। श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था की कार्यकारिणी बैठ्क हुई जिसमें कार्यकारिणी द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज संस्था टांका मुखिया हिस्सा-पूर्ण ट्रस्ट्रीयान् ग्राम वासी ओलवी के स्थान पर श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था संशोधित किये जाने हेतु प्रस्ताव सर्व सहमति से लिया गया। जिसके सम्बंध में कार्यकारिणी की बैठक कार्यवाही की नकल वाद पत्र के साथ पेश है। वादी को हाल ही में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल लेने पर जानकारी में आया कि वादग्रस्त कृषि भूमि श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था के नाम न होकर टांका मुखिया हिस्सा-पूर्ण ट्रस्ट्रीयान् ग्राम वासी ओलवी संस्था के नाम दर्ज है, तब वादी द्वारा प्रतिवादी को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में संस्था का दर्ज अशुद्ध इन्द्राज टांका मुखिया हिस्सा-पूर्ण ट्रस्ट्रीयान् ग्राम वासी ओलवी संस्था के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नही है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में संस्था का अशुद्ध इन्द्राज के कारण वादी संस्था के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में संघ विधान नियमावली के अनुसार किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पा रहे है। इसलिए राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में संस्था का दर्ज अशुद्ध इन्द्राज टांका मुखिया हिस्सा पूर्ण ट्रस्ट्रीयान् ग्राम वासी ओलवी संस्था के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज श्री विश्वकर्मा सुथार

जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था दुरुस्त घोषित किये जाने हेतु यह दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती/घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संस्था श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था के स्थान पर टांका मुखिया हिस्सा-पूर्ण ट्रस्ट्रीयान् ग्राम वासी ओलवी संस्था दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज टांका मुखिया हिस्सा-पूर्ण ट्रस्ट्रीयान् ग्राम वासी ओलवी संस्था के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर देने पर कि प्रतिवादी इस हेतु समक्ष नही है, बमुकाम् ग्राम औलवी, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अन्त में राजस्व वाद पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम औलवी, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 255 रकबा 2.7911 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी संस्था का दर्ज अशुद्ध इन्द्राज टांका मुखिया हिस्सा-पूर्ण ट्रस्ट्रीयान् ग्राम वासी ओलवी संस्था के स्थान पर सही/शुद्ध इन्द्राज श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था दुरुस्त घोषित किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे। मुताबिक आदेश/डिक्री के अनुसार दुरुस्ती/घोषित इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि राजस्व ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा नंबर 255 रकबा 2.7911 हैक्टयर के जमाबंदी संवत् 2076-2079 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में टांका मुखिया हिस्सा पूर्ण ट्रस्ट्रीयान ग्राम वासी ओलवी संस्था के नाम दर्ज है। वादी विधिक तथ्यों पर सही पाए जाने पर नियमानुसार अनुतोष दिया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र मदनलाल पुत्र बाबुलाल जाति सुथार का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 255 ग्राम ओलवी , प्रदर्श 2 सहकारिता विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की ई प्रति, प्रदर्श 3 संस्थान की संघ विधान नियमावली की प्रति, प्रदर्श 4 संस्थान की कार्यकारिणी द्वारा बैठक की प्रति, प्रदर्श 5 वादी मदनलाल के आधारकार्ड की प्रति आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 सहकारिता विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की ई प्रति, प्रदर्श 2 संस्थान की संघ विधान नियमावली की प्रति, प्रदर्श 3 संस्थान की कार्यकारिणी द्वारा बैठक की प्रति, प्रदर्श 4 वादी मदनलाल के आधारकार्ड की प्रति आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि उपरोक्त दस्तावेजात में संस्था का नाम श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में संस्था का नाम टांका मुखिया हिस्सा पूर्ण ट्रस्ट्रीयान ग्राम वासी ओलवी संस्था के लिए के नाम से दर्ज है। वादी ने

बताया कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में संस्था का अशुद्ध इन्द्राज के कारण वादी संस्था के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में संघ विधान नियमावली के अनुसार किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पा रहे है। इस कारण वादी संस्था के राजस्व रेकर्ड में नाम श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के साथ संलग्न हल्का पटवारी रिपोर्ट द्वारा बताया कि टांका मुखिया हिस्सा पूर्ण ट्रस्ट्रीयान ग्राम वासी ओलवी संस्था के नाम से कोई संस्था ग्राम ओलवी में स्थित नहीं है। ग्राम ओलवी में स्थित संस्था का नाम श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था है जो संस्था के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र से प्रमाणित होना बताया। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादी के पक्ष में किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम ओलवी के खसरा नंबर 255 रकबा 2.7919 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में टांका मुखिया हिस्सा पूर्ण ट्रस्ट्रीयान ग्राम वासी ओलवी संस्था के लिए के स्थान पर श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/02/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :-
श्री विश्वकर्मा सुथार अध्यक्ष मदनलाल

बनाम

प्रतिवादीगण :-
सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- **50/2025** **दिनांक :-** 17/02/26

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम ओलवी के खसरा नंबर 255 रकबा 2.7919 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में टांका मुखिया हिस्सा पूर्ण ट्रस्ट्रीयान ग्राम वासी ओलवी संस्था के लिए के स्थान पर श्री विश्वकर्मा सुथार जांगिड़ समाज प्याऊ एवं टांका विकास संस्था की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बाबत् -

तीज - मुबलिग -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर० तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा